International Journal of Scientific Research in Science and Technology
© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 11 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं की भूमिका

डॉ० लाल बाबू प्रसाद
एम.ए., पीएच.डी.
इतिहास, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

कुछ व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्यों के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया जाता है और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे संगठित हो जाते हैं तो उसे संगठन की संज्ञा दी जाती है। ऐसे संगठनों में जब वे संगठित हो जाते हैं तो उन्हें अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है और वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होते हैं। इसी पृष्ठभूमि में अनादि काल से ही लोगों के द्वारा संगठनों का निर्माण किसी न किसी रूप में किया जाता रहा है। व्यक्तियों का सबसे प्रारंभिक संगठन परिवार था। कालांतर में समाज और राज्य का विकास इस पृष्ठभूमि में हुआ। कालांतर में राज्य का स्वरूप विकसित हुआ। लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और राजनीतिक संगठनों के निर्माण की परम्परा विकसित हुई। इस प्रकार के संगठनों का गठन सामाजिक, धार्मिक आदि क्षेत्रो में भी होने लगा क्योंकि एकता में ही बल है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक शक्ति संगठन में ही है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी शक्ति को एकत्रित कर कुछ निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघ या संगठन का निर्माण किया जाता है। इसके कई प्रकार हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों का निर्माण बीसवीं शताब्दी में किए गए। महिलाएँ भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रही। विदेशों में भी उनके द्वारा अपने अधिकारों के लिए अनेकों संगठनों का निर्माण किया गया। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही अनेकों महिला संगठनों का निर्माण किया जा चुका था।

जहाँ तक भारत में नारी संगठनों का संबंध है, ऐतिहासिक तौर पर महिला संगठनों का प्रारंभ उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों से माना जा सकता ह। इस विकास का क्रम बीसवीं

शताब्दी में भी जारी रहा। कभी–कभी महिला शिक्षकों का सम्मेलन बुलाया जाता था तो यदा–कदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन स्थलों पर महिलाओं की अलग बैठक आहुत होती थी।

भारत में महिला संगठन का इतिहास 1866 ई. के प्रारंभ से माना जा सकता है, जब राजाराम मोहन राय द्वारा गठित ब्रह्मो समाज के तत्वावधान में स्वर्ण कुमारी देवी द्वारा महिला संगठन की स्थापना की गई। इस महिला संगठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय महिलाओं में मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना और सेवा की भावना जागृत करना था। इसका यह भी उद्देश्य था कि शिक्षित लड़कियों को शिक्षक बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाय।[1] पंडिता रामाबाई सरस्वती द्वारा पूना में शारदा सदन की स्थापना 1892 ई. में महिलाओं को शिक्षित बनाने एवं उन्हें नौकरी प्रदान करने के लिए की गई। इसके बाद सामाजिक सेवा, अनाथ बच्चों की सहायता, अकाल पीड़ितों की सहायता, दीन–हीनों की सहायता आदि भी इस महिला संगठन के लक्ष्य निर्धारित किए गए।[2]

स्त्री बोरोस्ट्रीयन मंडली की स्थापना 1903 ई. में बम्बई में की गई। इस संगठन का उद्देश्य सामान्य तौर पर महिलाओं को विशेष तौर पर भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करना था। इस महिला संगठन ने महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। इस संस्था के द्वारा गरीब पारसी महिला परिवारों में अन्न, दूध, दवा आदि के वितरण के अलावा ऐसे गरीब महिला परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था की गई।[3]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं इससे सम्बद्ध अन्य संगठनात्मक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता एवं नेतृत्व के विश्लेषण के क्रम में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यक्रमों में एवं नेतृत्वकारी भूमिका के निर्वाह में जिन महिलाओं द्वारा योगदान किया गया, उन्हें कुछ विलक्षण लाभ प्राप्त था। वे सुशिक्षित समृद्ध परिवारों की सदस्या थीं, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अनुदारवादी नहीं थी और उन्हें अपने परिवार के पुरूषों से समर्थन प्राप्त था। ऐसी अधिकांश महिलाएँ लोकप्रिय कांग्रेसी नेताओं की पुत्री या पत्नी थीं, उन्हें सामाजिक क्षेत्र में पारिवारिक स्थिति के कारण सम्मान प्राप्त था इस पारिवारिक स्थिति, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण उन्हें कांग्रेस में कार्यरत सदस्यों एवं नेताओं की शुभकामना एवं सद्भावना प्राप्त था यदि सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चटोपाध्याय,

विजयालक्ष्मी पंडित, अरूणा आसफ अली आदि के जीवनवृत का विश्लेषण किया जाय तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें पारिवारिक संरक्षण के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनके पुरूष सदस्यों के सानिध्य का लाभ प्राप्त हुआ और उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। यह स्वतंत्रता पूर्व भारत की महिलाओं की भूमिक के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटना थी।

लेकिन, परम्परावादी अनुदारवादी भारतीय समाज के संदर्भ में सामान्य परम्परा नहीं मानी जानी चाहिए। फिर भी इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इन अभिजन वर्गीय महिलाओं ने अपने नेतृत्व में सामान्य भारतीय महिलाओं को सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को और प्रेरित करने में सफल रहीं। दूसरी महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात यह है कि इन सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता प्रदान करनेवाली महिलाओं द्वारा परम्परागत सामाजिक मान्यताओं का परित्याग इस प्रकार के आंदोलनो में भाग लेने के क्रम में नहीं किया गया। अतः उन्हें सामाजिक या पारिवारिक प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा।

राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समस्त गतिविधियों एवं नीति–निर्धारण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी कायम रही। गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम एवं असहयोग आंदोलन में उन्होंने प्रतिभागी के रूप में साथ–ही–साथ नेता के रूप में भाग लिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता प्रदान की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांगेस की वार्षिक बैठकों में उन्हें प्रतिनिधि चुना गया और कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति की सदस्या नामित की गई। 1940 ई. में महिलाओं की बढ़ती हुई राजनीतिक भागीदारी को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अलग महिला विभाग का संगठन किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित 1919 के असहयोग आंदोलन के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता का इतिहास क्रमबद्ध रूप से देखने को मिलता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि इससे पूर्व उनकी गतिविधि इस क्षेत्र में नगण्य थी। बल्कि, इससे पूर्व भी इस प्रकार की गतिविधियों में उनकी सहभागिता थी, जिसका विश्लेषण पूर्व में किया जा चुका है। लेकिन 1919 ई. के असहयोग आंदोलन में उनकी संख्या अत्यधिक सीमित थी। लेकिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। इतना ही नहीं महिलाओं के बीच अपनी स्थिति को सुदृढ़

आधार पर आधारित करने के लिए काग्रेस द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन, जब महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को कांग्रेस द्वारा 1921 ई. में स्वीकृति प्रदान कर दी गई, तब परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तित होने लगी। इसके बाद कांग्रेस की यह नीति बन गई कि वह वैसी परम्पराओं और रीति रिवाजों का विरोध करेगी जो महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण होंगी और जो उनके विकास के मार्ग में बाधक बनी हुई है और जो उनके शोषण एवं उत्पीड़न का कारण बनी हुई है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी लघु रचना ''रचनात्मक कार्यक्रम'' में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ विशिष्ट प्रस्तावों को रखा। इसके अंतर्गत कांग्रेसजनों से यह आशा की गई थी कि वे महिलाओं के शैक्षणिक विकास संबंधी समस्त कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करेंगे। वे महिलाओं को आजीविका से संबंधित पाठ्यक्रमों यथा शिक्षण आदि को प्रोत्साहित करेंगी तथा राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में उन्हें समान अवसर प्राप्त हो इसके लिए प्रयास करेंगे। वैधानिक प्रावधानों के बाद समाज में जारी बाल–विवाह, परदा प्रथा, बहु–विवाह प्रथा आदि का विरोध करेंगे।

महात्मा गांधी ने भी सामाजिक सुधार आंदोलन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खादी के प्रचार एवं प्रसार तथा हरिजन उद्धार के कार्य को लोकप्रिय बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। इसके बाद कांग्रेस द्वारा कुछ संगठनों की स्थापना की गई जिसे सामान्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का दायित्व प्रदान किया गया और इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिन्दुस्तानी सेवा दल, अधिक भारतीय स्वयंसेवक संघ आदि प्रमुख थे और इनमें महिलाओं को भी भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया गया था। लेकिन, महिलाओं की आवश्यकताओं एवं जरूरतों के मद्देनजर न तो महिलाओं की भर्ती की ही व्यवस्था की गई थी और न ही उनके लिए किसी विशिष्ट कार्यक्रम का प्रावधान किया गया था।[4]

इस संदर्भ में कमलादेवी चटोपाध्याय के नाम का उल्लेख किया जा सकता है जो महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्वंयसेवक कैम्पों को आयोजित करने की पक्षधर थीं। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व को महिलाओं की समस्याओं पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया। 1930 के

सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला स्वयं सेविकाओं ने भाग लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कांग्रेस द्वारा महिलाओं की इस प्रकार की सहभागिता एवं अभिस्वी को बनाये रखना है तो उसे इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस उनके समर्थन से वंचित हो जायेगा। वे पुनः धीरे–धीरे अपने घरों की ओर उन्मुख होकर अपनी परम्परागत घरेलू कार्यों में जुट जायेगी।[5]

इस प्रश्न पर अपने समर्थन को अंकित करते हुए उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को प्रेषित पत्र में यह आग्रह किया कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ एवं लक्ष्य से अवगत कराने के लिए अध्ययन दल का गठन किया जाना चाहिए। इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनमें जागरूकता एवं चेतना उत्पन्न होगी और बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सकगी।[6]

उस समय तक समूचे देश में अनेकों महिला समितियों एवं संगठन स्थापित हो चुकी थीं, जिनका मुख्य लक्ष्य महिलाओं में शिक्षा का प्रचार करना, विधवा विवाह के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, बाल–विवाह का विरोध करना, बहु–विवाह का विरोध करना आदि था।[7] लेकिन, बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में इनके लक्ष्य में परिवर्तन स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा था। अधिकांश महिला संगठनों एवं संस्थाओं का नेतृत्व समाज सुधारकों की पुत्रियाँ या विधवा पत्नियाँ, युवा रामाबाई रानाडे, सुधा लक्ष्मी सुब्रह्मण्यम आदि के हाथों में आ चुका था, जो स्वयं तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों का शिकार थी लेकिन, सामाजिक उद्देश्यों से गठित इन महिला संगठनों के लक्ष्य में कुछ परिवर्तन अब स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने लगे थे। महिलाओं को प्रशिक्षित करने के अलावा ये संस्थाएँ अब स्पष्टतः समाज सुधार की ओर उन्मुख हो चुकी थी और महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत हो चुकी थी। इस उद्देश्य से शिक्षण, नर्सिंग आदि कार्यों का प्रशिक्षण महिलाओं को प्रदान करने का कार्य प्रारंभ हो चुका था। उनके द्वारा न कानूनी प्रावधानों को लागू करने की दिशा में भी पहल किया जा रहा था जो सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बनायी गई थी, यथा विधवा विवाह कानून, बाल विवाह कानून को प्रतिबंधित करने संबंधी कानून आदि। 1917 में स्थापित पूना सेवा सदन द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अपना निजी कार्यक्रम स्वीकार किया जा चुका था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गृह कार्यों का चतुरता से निष्पादन करते हुए उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक दायित्वों के निर्वहन

करना निर्धारित किया गया था।[8] इसी प्रकार का लक्ष्य उसी वर्ष अर्थात 1917 ई. में स्थापित वीमेन्स इंडियन एशोसिएशन का भी था। द ऑल इंडिया वीमेन्स कांग्रेस बाइस महिला संगठनों को मिलाकर 1927 ई. में संगठित किया गया था। इस संस्थाओं एवं संगठनों के द्वारा महिलाओं को शिक्षा का समुचित अवसर प्रदान करना, सामाजिक सुधार के लिए प्रयास जारी थे। समाज सुधार की दिशा में बाल विवाह पर रोक विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, बहु विवाह प्रथा का विरोध आदि जैसी बातों पर किया गया था। इन महिला संगठनों द्वारा महिलाओं के मताधिकार का भी मांग जारी थी। लेकिन, ऐसा करते हुए भी इस प्रकार के संगठन अपने गैर राजनीतिक स्वरूप और स्वतंत्र अस्त्तिव को स्पष्टतः प्रतिस्थापित करना चाहते थे।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि उस समय भारत में सिर्फ गैर राजनीतिक महिला संगठन ही कार्यरत थीं। बल्कि महिलाओं के राजनीतिक संगठनों के निर्माण का भी कार्य प्रारंभ हो चुका था। ऐसे ही एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्त्री सभा का उल्लेख किया जा सकता है।

भारत में जगह–जगह पर महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और संगठनों का निर्माण और रचनात्मक कार्यक्रम का संचालन हो रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अलग संगठन का अभाव था। अतः कुछ प्रमुख कांग्रेसी महिलाओं यथा श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, अरूणा आसफ अली, मृदुला साराभाई, सरोजनी नायडू आदि द्वारा कांग्रेस संगठन के अंतर्गत एक महिला विभाग के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई।

संदर्भ सूची :–

1. मॉडर्न रिव्यु, मो0 52, 1932, पृ. 242।
2. पद्मिनी सेन गुप्ता, पंडिता रामाबाई सरस्वती, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1970, पृ. 158।
3. नीरा देसाई, वीमेन इन मॉडर्न इंडिया, 1947, सेज एंड कम्पनी, पृ. 158।

4. हिन्दुस्तानी सेवा दल का गठन कांग्रेस द्वारा स्वंय सेवकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण के लिए किया गया था।
5. जाकर पेपर्स, फाइल संख्या– 170, पृ. 123।
6. वही, फाइल संख्या 9, पृ. 23।
7. वही।
8. पद्मिनी सेन गुप्त, पायोनीयर वीमेन इन इंडिया, ठक्कर एंड कम्पनी, 1944, पृ. 40।

♦♦♦♦♦